

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)

ISSN 2348 - 9359 (Print)

A REFEREED JOURNAL OF



**Shri Param Hans Education &
Research Foundation Trust**

www.IRJMSH.com
www.SPHERT.org

Published by iSaRa

खाद्य अधिकार की सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था



डॉ.नीतू सिंह
तोमर

एम.ए.,पी-एच.डी.समाज □ आस्ट्रप्रोस्ट डॉक्टरल फेलो, यू.जी.सी.दिल्ली-110002

रोटी, कपड़ा और मकान जनता की आधारभूत आवश्यकताएँ हैं। इन तीनों में भोजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भोजन के बिना मनुष्य का जीवित रहना सम्भव नहीं है। अतः रोटी और रोटी देना प्रत्येक सरकार का पुनीत कर्तव्य है।¹ इसकी पूर्ति किये बिना किसी भी व्यक्ति अथवा सरकार का बना रहना असम्भव है। दूसरे, यदि भोजन गुणात्मक दृष्टि से हीन है तो जनता का स्वास्थ्य गिर जाता है जिससे उनकी कार्यक्षमता घट जाती है। तीसरे, खाद्यान्नों का अभाव होने से उनका आयात करना पड़ता है जिससे विदेशी विनिमय का अभाव हो जाता है और देश का विकास कार्य अवरुद्ध हो जाता है।

खाद्य अधिकार की सुरक्षा का अर्थ है सभी व्यक्तियों को सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न (भोजन) उपलब्ध कराना ताकि वे सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें।² इसके लिए यह आवश्यक है कि न केवल समग्र स्तरों पर खाद्यन्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो बल्कि व्यक्तियों-परिवारों के पास उपयुक्त क्रय शक्ति भी हो ताकि वे आवश्यकतानुसार खाद्यान्न क्रय कर सकें। जहाँ तक पर्याप्त मात्रा का संबंध है, इसके दो पहलू हैं: (1) मात्रात्मक पहलू (इस रूप में अर्थव्यवस्था में खाद्य-उपलब्धि इतनी हो कि मांग की पूर्ति कर सकें), तथा (2) गुणात्मक पहलू (इस रूप में कि जनसंख्या की पोषण आवश्यकताएं पूरी की जा सकें)। जहाँ तक उपयुक्त क्रय शक्ति का प्रश्न है, इसके लिए आवश्यक है कि पोषण शक्ति में वृद्धि की जा सके। खाद्य सुरक्षा की मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने 3 खाद्य-आधारित सुरक्षा जाल अपनाए हैं: (1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (2) समेकित बाल विकास सेवाएं, (3) दोपहर भोजन कार्यक्रम।³

स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में खाद्यान्न की अत्यधिक कमी के फलस्वरूप सरकार की खाद्य नीति का उद्देश्य खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद खाद्यान्नों के उत्पादन में (गेहूँ एवं चावल में) तेज वृद्धि हुई है। इससे अर्थव्यवस्था अब खाद्यान्नों की समग्र कमी की समस्या का सामना कर पाने में सफल हो सकी है तथा सूखे जैसी स्थिति का सामना करने के लिए सरकार के पास खाद्यान्नों के पर्याप्त भंडार हैं। वस्तुतः जैसा कि, आर.राधाकृष्ण ने कहा है, भारत 1970 के दशक में ही खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की स्थिति पा चुका है तथा इस स्थिति को लगातार बनाए रखने में सफल रहा है। सरकार ने काफी बड़ी मात्रा में भारतीय खाद्य निगम की सहायता से खाद्यान्नों के भंडार जमा किए हैं और इन भंडारों में से व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है। हाल के कुछ वर्षों में तो ये भंडार न्यूनतम मानदंडों की तुलना में काफी अधिक थे जिससे अतिरिक्त भंडार की समस्या पैदा हो गई थी। 1 जुलाई 2013 को सरकार के पास गेहूँ के 42.2

लाख टन तथा चावल के 31.5 लाख टन के भंडार थे। इस प्रकार इन दो खाद्यान्नों के कुल भंडार 73.91 लाख टन तक पहुँच गए। ये स्टॉक न्यूनतम मानदंडों की तुलना में बहुत अधिक हैं (न्यूनतम मानदंड के अनुसार, जुलाई–सितंबर की तिमाई में गेहूँ के 20.1 लाख तथा चावल के 11.8 लाख टन भंडार की आवश्यकता थी)।⁴

यद्यपि खाद्यान्नों के विपुल भंडारों के कारण स्थिति संतोषजनक दिखाई देती है तथापि चिन्ता के कुछ कारण अवश्य हैं विश्लेषकों के अनुसार जहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या तथा बढ़ते हुए आय स्तरों के कारण, गेहूँ के उपभोग में आने वाले वर्षों में काफी वृद्धि अपेक्षित है (वर्ष 2014–15 में लगभग 90 मिलियन टन) वहाँ गेहूँ के उत्पादन को बढ़ाने की संभावनाएँ बहुत कम रहीं क्योंकि न तो गेहूँ में वृद्धि होना संभव लग रहा है और न ही गेहूँ की उत्पादकता में। जहाँ तक चावल का संबंध है, पिछले कुछ वर्षों में उसका उत्पादन उपभोग से अधिक रहा है (2002–03 को छोड़ कर)। परन्तु 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध से चावल की उत्पादकता 2000 किलोग्राम प्रति हैक्टर के आस-पास टिकी हुई है। इसलिए अनेक व्यक्तियों का विश्वास है कि चावल उत्पादन का स्तर भी अपनी सर्वोच्च सीमा छू रहा है। जहाँ तक दालों तथा खाद्य-तेलों का प्रश्न है, भारत पहले ही इनका काफी मात्रा में आयात कर रहा है।

मत्रात्मक पहलू से भी अधिक गंभीर **गुणात्मक पहलू** हैं यह बात निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाएगी।

- (1) विश्व भूखमरी सूचकांक 2013 के अनुसार, कुल 78 विकासशील देशों में भारत का 63वां स्थान था, चीन का 64वां स्थान, पाकिस्तान का 57वां स्थान, नेपाल का 18वां स्थान, श्रीलंका का स्थान 13वां था।⁵ इस प्रकार वह भी भारत से ऊपर थे।
- (2) वर्ष 2013 में भारत का भूखमरी सूचकांक मान 21.3 था जो एक 'अत्यन्त चिंताजनक' स्थिति का द्योतक है। (20 से 29.9 के मध्य भूख सूचकांक का मान वाले देशों की गणना 'अत्यन्त चिन्ताजनक' स्थिति वाले देशों में की जाती है)।
- (3) वैश्विक स्तर पर 2011–13 के दौरान 89.2 करोड़ व्यक्ति 'भयंकर भूख' के शिकार थे, जिन्हें एक स्वस्थ एवं अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए उपयुक्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं था। इसमें से 21.38 करोड़ (एक चौथाई से अधिक) भारत में थे।
- (4) 2010–12 की अवधि में भारत में जनसंख्या का 17.5% अल्पपोषित था अर्थात् प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति।
- (5) 2008–12 की अवधि में 5 वर्ष से कम आयु के 40.2 प्रतिशत बच्चे कम वजन के शिकार थे।
- (6) 2011 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर 6.1% थी।
- (7) N.S.S.O. के 66वें दौर के अनुसार, कैलोरी के रूप में व्यक्ति पोषण 1993–94 में 2153 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन था। 2009–10 में यह कम होकर ग्रामीण क्षेत्रों में 2020 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 1946 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रह गया।
- (8) तीसरा तथा अंतिम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005–06 के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में से लगभग आधे बच्चे अवरुद्ध विकास के शिकार थे जिसका अर्थ यह है कि काफी समय से अल्पपोषण की स्थिति में गुजर रहे थे। 20% बच्चे अपनी लम्बाई के मुकाबले बहुत दुबले-पतले थे जिसका कारण अपर्याप्त भोजन हो सकता है या हाल की बीमारी। जीवन के प्रथम 6 मास में भी, जब अधिकतर बच्चे स्तनपान पर निर्भर होते हैं, 20 में 30% बच्चे अल्पपोषण के शिकार थे।

(9) रक्त की कमी या रक्तक्षीणता भारत में एक मुख्य स्वास्थ्य समस्या है, विशेष रूप में स्त्रियों और बच्चों के लिए। तीसरे एन.एफ.एच.एस. के अनुसार 6 से 59 मास के मध्य आयु के बच्चों का 70% रक्त की कमी का शिकार था। जहाँ तक स्त्रियों का संबंध है, उनका 35% रक्तक्षीणता का शिकार था।

गुणात्मक पहलू के आधार जनसाधारण को खाद्यान्न कम मात्रा में ही नहीं मिला वरन् खाद्यान्न गुणात्मक दृष्टि से भी उत्तम नहीं होते। आहार विशेषज्ञों का कहना है कि एक सन्तुलित भोजन में 3000 कैलोरीज होनी चाहिये, परन्तु भारत में जो भोजन सामान्य रूप से प्राप्त होता है उसमें केवल 2000 कैलोरीज होती है। डॉ. सुखात्मे के अनुसार, “भारतीय नागरिकों को जितने पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए उनकी अपेक्षा उन्हें कम ही तत्व मिलते हैं।”⁶

भारत में पिछले दो दशकों में प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग में तेज गिरावट भी दिखाई देती है। आर्थिक समृद्धि तथा पौषणिक परिणामों के मध्य संबंध के संदर्भ में भारत का अनुभव एक ‘वैकिक पहेली’ माना जा रहा है। जहाँ विश्व का अनुभव यह रहा है कि अल्पपोषण में गिरावट सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि से लगभग आधी दर पर होती है, वहाँ भारत में 1990 से 2005 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में तो 4.2% प्रति वर्ष की संवृद्धि हुई परन्तु अल्पपोषण में गिरावट मात्र 0.63 हुई।⁷

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें उनकी बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके तथा जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर प्राप्त करने में सहायता दी जा सके। इस प्रणाली को चलाने के लिए सरकार व्यापारियों या मिलों तथा उत्पादकों से वसूली कीमतों पर वस्तुएं खरीदती है। इस प्रकार जो खरीद की जाती है इसका वितरण उचित दर दूकानों और राशन की दूकानों के माध्यम से किया जाता है। कुछ वसूली प्रतिरोधक भंडारों के निर्माण के लिए रख ली जाती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग खाद्य तेलों, चीना, कोयला, मिट्टी का तेल तथा कपड़े के वितरण के लिए भी किया जाता है। इस प्रणाली में सम्पूर्ण जनसंख्या को शामिल किया गया है। अर्थात् इसे किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रखा गया है। जिन परिवारों के पास घरेलू पता है उन सबको राशनकार्ड दिए गए हैं। उचित दर की दूकानों की संख्या 1960 के अन्त तक 0.47 लाख थी जो 1985 में 3.12 लाख पहुँच गई। अब इनकी संख्या 4.74 लाख है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 16 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष 30000 करोड़ रूपए मूल्य की वस्तुओं का वितरण किया जाता है।⁸ संभवतः विश्व में अपनी तरह की यह सबसे बड़ी वितरण प्रणाली है।

गत दशकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन एवं उठान के बढ़ते हुए अंतर का मुख्य कारण यह था कि इस प्रणाली से निर्गमन कीमतें हाल के वर्षों में काफी बढ़ाई गईं, जिससे इन कीमतों का बाजार कीमतों से अंतर बहुत कम रह गया। कम अंतर के कारण आम परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज क्रय के स्थान पर बाजार से अनाज क्रय करने लगे। उदाहरण के लिए 1990 से 1994 के मध्य चावल एवं गेहूँ की निर्गमन कीमतों में 4 बार वृद्धि की गई जिसके फलस्वरूप 1994 में चावल की निर्गमन कीमतें, 1989 की अपेक्षा 2 गुनी से भी अधिक एवं गेहूँ की निर्गमन कीमत लगभग 2 गुनी हो गई। जनवरी 1991 में दिल्ली में गेहूँ बाजार कीमत और निर्गमन कीमत में 47.17% का अंतर था जो फरवरी 1994 में कम होकर मात्र 8.21% रह गया।¹⁰ 1994 में निर्धारित कीमत मई 1997 तक बनी रहीं। जून 1997 में सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना लागू की जिसके तहत दोहरी कीमत संरचना लागू की गई। इसके

अंतर्गत, दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वालों के लिए निर्गमता कीमत की आर्थिक लागत का 50% रखा गया जब कि दरिद्रता रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए इसे आर्थिक लागत के बराबर रखा गया। चूँकि दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए निर्गमन कीमत बाजार कीमत के बहुत करीब थी। अतः इन परिवारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खरीद बहुत कम कर दी। इससे सरकार के पास खाद्यान्न भंडार और बढ़ गए। इस समस्या के निदान के लिए सरकार ने जुलाई 2001 में दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों के लिए निर्गमन कीमत को 30% कम कर दिया अर्थात् इन व्यक्तियों के लिए निर्गमन कीमत को आर्थिक लागत का 70% निर्धारित किया गया।

खाद्य सहायता के बढ़ते हुए भार को कम करने के उद्देश्य से तथा उसे उन व्यक्तियों तक बेहतर तरीके से पहुँचाने के लिए जिन्हें उसकी अधिक आवश्यकता है, भारत सरकार ने 1 जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक योजना (टी.पी.डी.एस.) लागू की। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कहा गया। इस दरिद्रता रेखा से नीचे उन परिवारों को रखने की व्यवस्था थी जिनकी आर्थिक आय 15000 रुपये से कम थी। शुरू में प्रति परिवार 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति मास देने की व्यवस्था की गई जिसे बाद में बढ़ाकर 25 किलोग्राम कर दिया गया। 1 अप्रैल 2002 में राशन की मात्रा और बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति मास प्रति व्यक्ति कर दी गई।

जहाँ तक दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले और ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए निर्गमन कीमतों का संबंध है, उनमें काफी अंतर रखा गया। मार्च 2000 में सरकार ने निर्गमन कीमत को दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत का 50% और दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए आर्थिक लागत के बराबर निश्चित कर दिया। उदाहरण के लिए, गेहूँ के लिए भारतीय खाद्य निगम की 2000–01 में आर्थिक लागत 830 रुपये क्विंटल थी। इसलिए दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए निर्गमन कीमत 415 रुपये प्रति क्विंटल अर्थात् 4.15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए निर्गमन कीमत 830 रुपये प्रति क्विंटल अर्थात् 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित कर दी गई। चावल के लिए भारतीय खाद्य निगम की 2000–01 में आर्थिक लागत 1130 रुपये क्विंटल थी। इसलिए दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए निर्गमन कीमत 563 रुपये प्रति क्विंटल अर्थात् 5.65 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए निर्गमन कीमत 1130 रुपये प्रति क्विंटल अर्थात् 11.30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित कर दी गई। दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए इन ऊँची कीमतों का निर्धारण करने से इन परिवारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खरीदारी बहुत कम कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय खाद्य निगम के पास अनाज के भारी भंडार जमा हो गए। इस समस्या के निदान करने के लिए सरकार ने दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए निर्गमन कीमत को कम कर दिया। 1 जुलाई, 2002 से अब निर्गमन कीमतें (2002 से अब तक अपरिवर्तित) हैं:—(1) दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए गेहूँ की कीमत 6.10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल की कीमत 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम, तथा (2) दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए गेहूँ की कीमत 4.15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल की कीमत 5.65 रुपये प्रति किलोग्राम।

ऊपर दी गई दो निर्गमन कीमतों (एक दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए तथा दूसरी दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए) के अतिरिक्त दिसम्बर-2000 में एक और निर्गमन कीमत निश्चित की गई जब सरकार ने अन्त्योदय अन्न योजना लागू किया। इस योजना के तहत दरिद्र 2.

43 करोड़ परिवारों को गेहूँ 2 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर दिया जाता है।

दरिद्रता रेखा से नीचे परिवारों तथा अन्त्योदय योजना के अंतर्गत शामिल कुल 6.52 करोड़ परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति मास की दर से खाद्यान्न दिए जाते हैं। दरिद्रता रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को अलग-अलग राज्यों में 15 किग्रा प्रति मास से 35 किग्रा के मध्य खाद्यान्न दिए जाते हैं। वर्ष 2012-13 में सरकार ने कुल 627.67 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया— अन्त्योदय, बी.पी.एल एवं ए.पी.एल. परिवारों के लिए टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत 499.42 लाख टन का एवं कल्याणगत कार्यक्रमों (एकीकृत बाल विकास संस्थानों, दोपहर भोजन योजना, अन्नपूर्णा इत्यादि) के लिए 49.29 लाख टन।

लक्षित सार्वजनिक प्रणाली कई आधार पर असफल सिद्ध हुई है। यह वास्तविक दरिद्रों तक पहुँचने में एवं उन्हें उचित कीमतों पर अनाज उपलब्ध कराने में असफल रही है। यह खाद्य सहायता का भार कम नहीं कर पाई है। उसने सम्पूर्ण खाद्य आपूर्ति प्रणाली को कमजोर बनाया है तथा कई उचित दर दूकानों की लाभोत्पादकता कम करके उन्हें बंद करने को बाध्य किया है। उसके कारण, विभिन्न राज्यों के मध्य खाद्यान्न आबंटन की व्यवस्था गड़बड़ा गई है जिससे पूर्ति की आधिक्य राज्यों से पूर्ति की कमी वाले राज्यों की ओर खाद्यान्न-हस्तान्तरण व्यवस्था कमजोर हुई है। इतना ही नहीं, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण भ्रष्टाचार व गड़बड़ियों में वृद्धि हुई है।¹¹

योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने मार्च-2011 में यह सुझाव दिया है कि खाद्यान्नों के स्थान पर, दरिद्रों के लिए इलेक्ट्रानिक्स खातों में प्रति मास एक निर्धारित मुद्रा राशि का अंतरण किया जाना चाहिए और उन्हें यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे मुद्रा राशि से उचित मूल्य की दूकानों से अपनी पसंद की वस्तुएं क्रय कर सकें। इस संबंध में सुझाव दिया है कि सरकार आर्थिक सहायता राशि को सीधे विशिष्ट सूचक (यूनिक आइडेंटिफिकेशन) या आधार नंबर से जुड़े स्मार्ट कार्ड में अंतरित करे और यह स्मार्ट कार्ड परिवार में 18 वर्ष की आयु से अधिक किसी महिला सदस्य के नाम हो। आर्थिक सहायता की मात्रा, खाद्यान्न की न्यूनतम कीमत तथा उचित दर मूल्य की दूकान पर उस खाद्यान्न की कीमत के बीच के अंतर के बराबर हो। इसका अर्थ यह होगा कि दरिद्रता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की खाद्यान्न उपलब्धि की मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत प्रति मास 280 से 300 रुपए की आर्थिक सहायता देनी होगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013: प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को हर समय पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने हेतु खाद्यान्न के सार्वजनिक वितरण के माध्यम से उपयुक्त व्यवस्था करना है क्योंकि भूख से, कुपोषण से तथा इनसे जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सिफारिश की है कि परिवार-अनुसार खाद्यान्नों का अधिकार निर्धारित करने के स्थान पर व्यक्ति अनुसार खाद्यान्नों का अधिकार निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके पक्ष में परिषद ने 2 तर्क दिए—(1) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न अधिकार अधिक न्यायोचित है, जिन परिवारों में व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी उनके खाद्यान्न संबंधी अधिकार भी अधिक होंगे तथा (2) व्यक्ति को आधार बनाने पर परिवारों की सही संख्या का अनुमान लगाने की समस्या समाप्त हो जाएगी। सही अनुमान लगाना अक्सर दुरुह होता है और उसमें गड़बड़ी करने की काफी संभावना होती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 22 सितम्बर 2011 को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 75% ग्रामीण एवं 50% शहरी जनता को सस्ती कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा स्त्रियों और बच्चों की पोषण सहायता प्रदान करने व्यवस्था की गई है। विधेयक को पेश करने के बाद उसे एक विशिष्ट कमेटी को सौंपा गया ताकि उसकी विभिन्न धाराओं पर पुनः विचार किया जा सके। कई सुझावों के प्रकाश में संशोधन किए गए और संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 2013 में पेश किया गया। 12 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर हस्ताक्षर किए गए और यह कानून बन गया। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:-

- (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 75% ग्रामीण तथा 50% शहरी जनसंख्या को टी.पी.डी.एस. के माध्यम से सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है।
- (2) लाभभोगी को 1 माह में 5 किग्रा चावल, गेहूँ या मोटे अनाज की पूर्ति क्रमशः 3 रूपया, 2 रूपया, 1 रूपया प्रति किग्रा की दर पर की जाएगी। लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार परिवारों के स्थान पर व्यक्ति अनुसार खाद्यान्नों का अधिकार स्थापित किया जाएगा।
- (3) खाद्यान्नों की कीमत शुरू में 3 वर्षों तक लागू रहेगी उसके पश्चात् केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर उनका निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि न्यूनतम समर्थ कीमतों से अधिक न हो।
- (4) यद्यपि अधिनियम में खाद्यान्न की मात्रा को पूर्व विधेयक में निर्धारित मात्रा 7 किग्रा से घटाकर 5 किग्रा कर दी गयी है तथापि अन्त्योदय, बी.पी.एल. अन्न योजना के अंतर्गत 2.43 करोड़ निम्नतम परिवारों को दिए जाने वाले अनाज में कोई कमी नहीं की गई है। अर्थात् इन परिवारों को 35 किग्रा प्रति परिवार के हिसाब से खाद्यान्न मिलते रहेंगे।
- (5) अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों की शिनाख्त राज्य सरकारें करेंगी और यह काम 365 दिन के अंदर करना जरूरी होगा।
- (6) 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अधिनियम में आयु अनुसार समुचित भोजन की गारंटी दी गई है जिसे स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त प्रदान किया जाएगा। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन (अवकाश दिनों के अतिरिक्त) 1 बार मुफ्त दोपहर भोजन दिया जाएगा। सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों के कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए यह योजना लागू होगी। 6 मास से कम आयु वाले बच्चों के लिए पूरी तरह से स्तनपान पर निर्भरता को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (7) प्रत्येक गर्भवती महिला एवं स्तनपान कराने वाली माता को स्थानीय आंगनबाड़ी से मुफ्त भोजन दिया जाएगा (गर्भ के दौरान एवं बच्चा पैदा होने से 6 माह तक) तथा किस्त में 6000 रूपए का मातृत्व लाभ दिया जाएगा।
- (8) विधेयक में राज्य खाद्य आयोग स्थापित करने की बात की गई है। प्रत्येक आयोग में 1 अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य जिनमें 1 सचिव, 2 महिलाएं, 1 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना आवश्यक होगा। आयोग का मुख्य काम विधेयक कार्यान्वयन पर नजर रखना, राज्य सरकारों एवं संस्थानों को सलाह देना तथा विधेयक के उल्लंघन की जांच करना होगा।
- (9) अधिनियम के अधीन जिन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दिया गया उन्हें खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में, संबंधित राज्य सरकार में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
- (10) विधेयक में 3 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 1 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निर्गमन कीमतों की जानकारी दी गई है। अनुसूची 2 में दोपहर भोजन प्रणाली, घर ले जा सकने वाले राशन एवं अन्य

अधिकारों के संबंध में 'पोषण मानक' परिभाषित किए गए हैं। यथा 6 मास से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर ले जा सकने वाले राशन में कम-से-कम 500 कैलोरी तथा 12–15 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। अनुसूची 3 में 'खाद्य सुरक्षा को और बढ़ाने' के सुझाव हैं जिन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है: (1) कृषि को पुनर्जीवन देकर उसे मजबूत बनाना (कृषि सुधार शोध एवं अनुसंधान, लाभकारी कीमतें इत्यादि), (2) खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण तथा चलन (विकेंद्रित वसूली) तथा (3) अन्य सुक्षाव (पीने का जल, सफाई एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग एवं अकेली रहने वाली महिलाओं के लिए उपयुक्त पेंशन की व्यवस्था)।

दरिद्रों के लिए बनी सरकारी जन-कल्याणकारी योजनाओं के लाभ-आबंटन का वर्तमान स्वरूप:

केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दरिद्रों एवं असहाय व्यक्ति-परिवारों के लिए अनेक जन-कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यथा नगर एवं ग्राम क्षेत्रों के दरिद्रों हेतु सरकारी आवास, शौचालय, छात्रवृत्तियाँ, बीमा, अनुदान, निःशुल्क शिक्षा-इलाज, बिना ब्याज ऋण, कृषि अनुदान, निःशुल्क बोरिंग-हैंडपम्प, पशु-चारा अनुदान, असहाय वृद्धा-विधवा-समाजवादी-विकलांग पेंशन, महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एवं खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना-2013 के अन्तर्गत कंगालों को पूर्व की भांति अन्त्योदय राशन कार्ड पर 90 रुपए में 35 किलोग्राम अनाज, चीनी, किरासिन तथा जिनकी शहरी आय 3 लाख वार्षिक एवं ग्रामीण आय 2 लाख वार्षिक को पात्र गृहस्थी राशनकार्ड देकर 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन वितरण उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2016 से लागू किया गया है। जब कि कुछ राज्यों में पूर्व से यह व्यवस्था लागू है। यह नियम-व्यवस्था प्रत्येक 3 वर्ष बाद विचारोत्तरान्त लागू होने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारें बेसिक स्कूलों के छात्रों को मध्याह्न भोजन, दूध, फल तथा आंगनबाड़ी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पौष्टिक भोजन, दूध, चिकित्सा एवं नारियों को मातृत्व धारण करने के उपरांत पैष्टिक भोजन, दूध, फल एवं प्रत्येक गर्भवती को किशतों में 6000 रुपए मुहैया करा रही हैं?

दरिद्रों की समस्याओं के निर्धारण हेतु मैंने उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के 6 नगर क्षेत्रों के 117 वार्ड्स एवं 7 विकास खंडों की 229 ग्रामसभाओं का भ्रमण एवं जनसम्पर्क कर दरिद्र व्यक्तियों की समस्याएं संग्रहित की हैं। राज्य द्वारा फर्रुखाबाद जिले के नगर-ग्राम क्षेत्रों के पंजीकृत दरिद्रों जिनमें इंदिरा-लोहिया-कांशीराम-प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, वृद्धा, समाजवादी-विधवा-बिकलांग पेंशन एवं अन्त्योदय-बी.पी.एल.राशन लाभार्थी हैं, उनके घर-घर जाकर वास्तविक स्थिति का अवलोकन कर बातचीत की है। जिसके परिणामस्वरूप सभी अन्त्योदय कार्ड धारी एवं अधिकांश बी.पी.एल.धारी तथा अधिकांश समाजवादी पेंशनर्स अपात्र मिले हैं जिनमें अधिकांश 1 के पास बड़े लेंटर मकान, बाहरों में हवेलियाँ, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हेरो, ट्यूबवेल, फ्रिज, कूलर, रंगीन डिस टी.वी., कम्प्यूटर्स, गैस कनेक्शन, ट्रक, दूकान, धंधे, उद्योग, व्यापार, नौकरी, भूमि, प्लाट्स, मिल, प्रतिष्ठान, पैष्टिक धन-सम्पत्ति आदि का स्वामित्व मिला है। असहाय विधवा-वृद्धा पेंशनर्स में अधिकांश के लड़के-परिवार सक्षम-रहीस मिले हैं। अनेक बिकलांग पेंशनर्स ऐसे मिले हैं जो शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षम या शारीरिक अंगों में मामूली परिवर्तन (40% से कम) एवं पर्याप्त आय होने के बावजूद बिकलांग पेंशन धारी हैं। दरिद्र-असहाय पेंशनर्स में अनेक मृतक तथा एक व्यक्ति के अनेक परिजन माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-बहू, बेटी-दामाद होने के बावजूद अनेक पेंशन तथा अनेक मृतक दरिद्र पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस

प्रकार दरिद्रों के लिए बनीं सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ दरिद्रों के स्थान पर फर्जी दरिद्र अर्थात् रहीस लेते मिले हैं जिसके कारण जहाँ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का धन बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है वहीं वास्तविक दरिद्र सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से बंचित रहकर बुरी तरह समस्याग्रस्त है।

दरिद्रों के कल्याण के लिए बनीं योजनाओं में निर्धारित मानकों की उपेक्षा कर फर्जीबाद जनपद में रजिस्टर्ड-फर्जी दरिद्रों द्वारा अर्थात् रहीसों द्वारा बड़ी मात्रा में दरिद्रों का गेंहू, चावल, तेल, चीनी, सरकारी इंदिरा-लोहिया-कांशीराम आवास, जमीन-प्लॉट पट्टा, उद्योग, बीमा, समाजवादी-वृद्धा-विधवा-विकलांग पेंशन, दान-अनुदान एवं राष्ट्रीय सम्मान आदि फर्जीबाड़ा से हड़प कर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं। सांसद-विधायक निधियों एवं हैंडपम्प तथा सरकारी विकास का धन सार्वजनिक स्थलों के स्थान पर न लगकर रहीसों के निजी आवासों, प्लॉटों, प्रतिष्ठानों, स्कूलों में लगाए गए/जा रहे हैं। राशन-कोटे की दूकानें रहीसों या उनके परिवार की महिलाओं या बाहरी लोगों के नाम आबंटित होकर पैतृक विरासत के रूप में कोटा राशन-तेल ब्लैक हो रहा है। यह दूकानें नियमित न खुलकर माह में मात्र एक-दो दिन खुलकर सरकारी कर्मचारियों की अनुपस्थिति में राशन वितरण की खानापूर्ति कर रही है। इन कोटे की दूकानों का ब्लैक राशन बाजार की दूकानों पर खुले आम बिक रहा है। ग्रामों के अधिकांश ग्राम सचिवालयों, सहकारी, स्वास्थ्य भवनों, एडिड स्कूलों में दबंग-रहीसों के ताले पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश केंद्र-उपकेंद्रों पर चिकित्सक की जगह फार्मासिस्ट-सफाई कर्मी-आशाएं रोगियों का इलाज कर रहे हैं जबकि अनेक चिकित्सक-कर्मचारी केंद्र-उपकेंद्रों पर यदाकदा जाकर उपस्थित खानापूर्ति कर रहे हैं। बेसिक स्कूलों के शिक्षकों एवं प्रबंध समितियों का फर्जीबाड़ा अत्यन्त गंभीर है। अधिकांश बेसिक स्कूलों की पंजीकृत छात्र संख्या अधिक एवं वास्तविक छात्रों की संख्या-उपस्थिति अत्यन्त कम है। इस संबंध में बताया गया है कि, अधिकांश छात्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बावजूद उनके नाम शिक्षक नौकरी कायम रखने एवं अनुदेशकों के नाम पर वेतन भुगतान लेने के उद्देश्य मात्र से दर्ज की गई है। इन विद्यालयों की प्रबंध समिति के अधिकांश अध्यक्ष-पदाधिकारियों एवं रसोइयों की पदासीनता अमानक एवं अवैध है। बेसिक स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अत्यन्त निम्न एवं फर्जीबाड़ा से सार्वजनिक धन-सम्पत्ति का घोटाला अत्यन्त उच्च है जहाँ छात्रों का मिड डे मील में उबले चावल देने की खानापूर्ति कर पुस्तकों, पोशाकों, साबुन, छात्र कल्याण आदि धन फर्जी छात्र संख्या दर्ज कर हड़पा जा रहा है। अनेक शिक्षक घर बैठे वेतन ले रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर यदा-कदा दो-चार छात्रों को बैठाकर फर्जी संख्या के आधार पर शिशुओं, कुपोषितों, धात्रियों, किशोरियों, के नाम पर पौष्टिक भोजन, दूध, दवाओं एवं मातृत्व कल्याण धन हड़पा जा रहा है जहाँ की अधिकांश कार्यकर्त्रियाँ-सहायिकाएं नेताओं, प्रधानों, अधिकारियों-कर्मचारियों के संबंधों एवं दबंग-दहशत का लाभ उठाकर आंगनबाड़ी केंद्रों से सदैव गायब रहती हैं तथा पंजीरी 475 रुपए प्रति बोरी की दर से ब्लैक कर शिशु-मातृ के स्थान पर भैंसों को खिलवा रहीं हैं। ग्रामों में स्वीपर पद पर अधिकांश उच्च जाति-वर्ग के व्यक्ति पदासीन हैं जो स्वयं गलियाँ-नालियाँ साफ नहीं करते हैं और बाल्मीक जाति के व्यक्तियों को 200 रुपए दिहाड़ी मजदूरी देकर यदा-कदा सफाई कार्य की खानापूर्ति कराते हैं तथा ग्राम-प्रधानों एवं ए. डी.ओ.पंचायतों को वेतन का कुछ हिस्सा देकर फर्जी ड्यूटी की उपस्थिति प्रमाणित कराकर बिना काम किए वेतन हड़प रहे हैं। जिले की ग्राम पंचायतों के अधिकांश प्रधान संबंधित ग्राम के न होकर स्थाई रूप से शहरों के निवासी हैं। कोई भी ग्राम सचिव ग्राम सचिवालयों में नहीं रहता और न ही ग्राम सभा की खुल बैठकें होती हैं। इस तरह रहीस व्यक्ति-परिवार फर्जी दरिद्र बनकर सरकारी सुख-सुविधाओं को हड़प कर

मौज कर रहे हैं। जबकि वास्तविक दरिद्र बी.पी.एल.से प्रथक या रिश्वत न दे पाने के कारण बुरी तरह उपेक्षित एवं दरिद्रता ग्रसित हैं।

केंद्र-प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की पात्रता, आवेदन, स्वीकृत एवं धन आबंटन की औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित है। जिसमें शासन के प्रशासकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की निगरानी एवं जबाबदेही उत्तरदायित्व निर्धारित है। इसके बावजूद रहीं द्वारा दरिद्र कल्याण योजनाओं के लाभों का दुरुपयोग तथा वास्तविक दरिद्रों के हितों एवं पात्रता की उपेक्षा देश-समाज के लिए अत्यन्त घातक है।

अतः सुझाव है कि, दरिद्रों के कल्याण हेतु बनीं योजनाएं-अन्त्योदय, गृहस्थ-पात्रता एवं असहाय पेंशन-विधवा, वृद्धा, बिकलांग, समाजवादी पेंशन, बाल-मातृत्व लाभ, मिडडेमील, दरिद्र छात्र-वृत्ति, राशन-तेल वितरण, दरिद्र सब्सिडी तथा दरिद्रों के लिए आवासों एवं शौचालयों आदि के आबंटन में निर्धारित मानकों के अनुरूप मात्र दरिद्र व्यक्ति-परिवारों को ही दरिद्र लाभ दिया जाना चाहिए तथा अपात्र-फर्जी दरिद्रों को दरिद्र कल्याण योजनाओं के लाभ से तत्काल प्रथक-प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा फर्जी दरिद्रों को दिया जा रहा दरिद्रता लाभ तत्काल रोक कर रिकवरी एवं दंडनीय कार्यवाही की जानी चाहिए

संदर्भ-सूची

1. प्रो. विजय पाल सिंह एवं श्रीमती पूजा रस्तोगी, भारतीय आर्थिक नीति, विशाल प्रकाशन मंदिर, मेरठ, वर्ष 2005, पेज-178
2. पी.वी.निवासन, 'एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी', शोवनराय (ईडी), हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, नई-दिल्ली, 2007, पेज-130
3. आर.राधाकृष्ण, 'फूड एंड सिक्योरिटी न्यूट्रेशन ऑफ पूअर', इकोनोमिक एंड पॉलिटिक्स वीकली, अप्रैल 30, 2005, पेज-1817.
4. वी.के.पुरी एंड एस.के.मिश्रा, 'भारतीय अर्थशास्त्र', हिमालयन पब्लिकेशन हाउस मुम्बई, 2014, पेज-297
5. इंटरनेशनल फूड पॉलिसी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्लोबल इंडेक्स 2013, चेलेंज आफ हंगर वाशिंगटन, अक्टूबर 2013, टेबिल 2.1, पेज 15
6. प्रो. विजय पाल सिंह एवं श्रीमती पूजा रस्तोगी, भारतीय आर्थिक नीति, विशाल प्रकाशन मंदिर, मेरठ, वर्ष 2005, पेज-179
7. बिल प्रियार्ड एंड राममोहन, नॉट पालटेबिल फॉर दि पूअर, हिन्दुस्तान टाइम्स, अक्टूबर-16, 2013, पेज-14
8. वी.के.पुरी एंड एस.के.मिश्रा, 'भारतीय अर्थशास्त्र', हिमालयन पब्लिकेशन हाउस मुम्बई, 2014, पेज-298
9. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, टेंथ फाइव इयर प्लान 2002-2007, दिल्ली, 2003, वॉल्यूम-2, पेज-367
10. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे, 1993-94, टेबिल-49, पेज 67 प्लान 2002-2007, दिल्ली, 2003, वॉल्यूम-2, पे.367
11. वी.के. पुरी एंड एस.के. मिश्रा, 'भारतीय अर्थशास्त्र', हिमालयन पब्लिकेशन हाउस मुम्बई, 2014, पेज-302

[Earn By Promoting Ayurvedic Products](#)

[Arogyam Weight Loss Program](#)



Arogyam herbs for weight loss



Follow Arogyam diet plan for weight loss



Arogyam healthy weight exercise schedule



Mobilize stubborn fat



Explore Innovate Educate

Shri Param Hans Education & Research Foundation Trust
www.SPHERT.org

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY**

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
COMMERCE, ARTS AND SCIENCE**

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES**

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE AND INNOVATION**

WWW.IRJMSI.COM

